


क 9/21

गार्भोगण के अधिवक्ता उपस्थित विपरीत
सं. 2 के अधिवक्ता उपस्थित उग्र पक्ष
के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
गार्भोगण द्वारा यह प्रार्थना-पत्र अरित्र
विद्वां खरिज करने का निवेदन किया
है, लिहजा ~~प्र~~ प्रकाशन के मध्य राजीनामा
हो जाने एवं गार्भोगण इस प्रार्थना-
पत्र में कोई कार्रवाही नहीं चाहते
ये यह निगशनी प्रार्थना-पत्र इसी प्रकार
में अरित्र विद्वां खरिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैलल शुमार लिंक  नम्बर से
कम हो व सबिल स्फ़र नीं

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)